न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री अभय जैन, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आपराधिक अपील संख्या – 137/2021
CNR No. RJBW010013572021

1. मोहम्मद रशीद पुत्र मोहम्मद रफीक खां मुसलमान
2. अब्दुल कय्युम खां पुत्र अब्दुल लतीफ खां मुसलमान
3. शहीद खां पुत्र मोहम्मद लाल खां मुसलमान
निवासीयान भदालीखेड़ा पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा

......अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण

वि रू द्ध

1. राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक, भीलवाड़ा
2. जमील खां उर्फ तारू पुत्र गफ्फार खां पठान भोमिया (मृतक) के बजायः–
2/1 श्रीमती फरीदा बानो पत्नी जमील खां उर्फ तारू
2/2 समीर पुत्र जमील खां उर्फ तारू नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती फरीदा बानो
2/3 ईशान पुत्र जमील खां उर्फ तारू नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती फरीदा बानो
2/4 मु. महरूना बानू पत्नी गफ्फार खां पठान भोमिया
निवासीयान भदालीखेड़ा पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा

......प्रत्यर्थीगण

आपराधिक अपील विरूद्ध निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 19.02.2020 जो श्री शैलेन्द्र चौधरी न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, माण्डल जिला भीलवाड़ा द्वारा नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 271/2017, राजस्थान राज्य बनाम मोहम्मद रशीद व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितः

श्री सूरज सनाढ्य, अधिवक्ता अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण
श्री आर.एस.कानावत, लोक अभियोजक

नि र्ण य **दिनांक : 30.07.2026**

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मोहम्मद रशीद, अब्दुल कय्युम व

शहीद खां की ओर से यह अपील विद्वान न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, माण्डल जिला भीलवाड़ा द्वारा नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 271/2017, राजस्थान राज्य बनाम मोहम्मद रशीद व अन्य में पारित आलौच्य निर्णय–दण्डादेश दिनांकित 19.02.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके जरिए अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मोहम्मद रशीद, अब्दुल कय्युम व शहीद खां को अपराध धारा 341, 323 सपठित धारा 34 भा.द.सं. में दोषसिद्ध किया गया तथा अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाकर धारा 4 (1) अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत 10–10 हजार रूपये की राशि के जमानतनामें एवं स्वयं के बंध पत्र एक वर्ष की अवधि के लिए प्रस्तुत कर तस्दीक कराने तथा उक्त अधिनियम की धारा 5 (1)(ए) के तहत प्रत्येक अभियुक्त को 500/– रूपये इस प्रकार तीनों अभियुक्तगण को कुल 1500/– रूपये अभियोजन व्यय स्वरूप जमा कराए जाने का आदेश दिया गया ।

2. संक्षिप्ततः मामले के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 05.09.2017 को परिवादी जमील खां उर्फ तारू ने पुलिस थाना माण्डल पर एक रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 इस आशय की पेश की कि दिनांक 02.09.2017 को शाम 6:30 बजे वह भदालीखेड़ा बसस्टेण्ड पर किराणे की दुकान पर अपने बच्चे को बिस्कूट खिला रहा था कि अभियुक्तगण रशीद खां, रफीक खां, सैय्यद खां, जमील खां, अय्यूब खां, कय्यूम खां, गन्नी मोहम्मद, इकबाल उर्फ इरफान, आरिफ खां, आसिफ खां, आमिर खां, अनीश खां सभी हमसलाह होकर हाथों में लोहे के पाईप, लकड़ियां, सरिया लेकर आए और प्रार्थी के साथ गालीगलौच करते हुए उसे जान से मारने की नियत से जानलेवा हमला कर दिया । अभियुक्तगण उसके साथ मारपीट करते हुए कह रहे थे कि तूने हमारे खिलाफ एसीजेएम कोर्ट, माण्डल में चल रहे मुकदमें में गवाही कैसे दी, आज तुझे जान से ही खतम करेंगे तथा परिवादी के साथ अन्धाधून्ध मारपीट की। उसके चिल्लाने पर बसस्टेण्ड पर उपस्थित लोगों ने बीचबचाव किया वरना अभियुक्तगण उसको जान से खतम कर देते । मारपीट से उसके सिर, हाथ, पैरो व शरीर में जगह–बेजगह चोटें कारित हुई । उसने अभियुक्तगण

के विरूद्ध अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 130/10 में साक्ष्य दी, इसी रंजिशवश अभियुक्तगण ने उस पर जानलेवा हमला किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना माण्डल पर प्रकरण संख्या 247/2017 पंजीबद्ध कर अन्वेषण शुरू किया गया एवं अन्वेषणोपरांत अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मोहम्मद रशीद, अब्दुल कय्युम व शहीद खां के विरूद्ध आरोप पत्र अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 सपठित धारा 34 भा.द.सं. के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

3. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को अपराध धारा 341, 323 सपठित धारा 34 भा.द.सं. के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप से अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही । अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.ड. 1 जमील खां, पी. ड. 2 मुंशी खां, पी.ड. 3 डॉ. भंवरलाल शर्मा, पी.ड. 4 कान सिंह, पी.ड. 5 अयूब खां, पी.ड. 6 आबिद खां को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 4 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात् अभियुक्तगण को धारा 313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य गलत होना बताते हुए प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहा । अभियुक्तगण की ओर से मौखिक प्रतिरक्षा साक्ष्य में अभियुक्तगण की ओर से डी.ड. 1 शाहिद खां, डी.ड. 2 अनवर खां व डी.ड. 3 सद्धीक खां को परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी 1 व डी. 2 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए ।

4. उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनने के उपरांत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 19.02.2020 पारित करते हुए अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मोहम्मद रशीद, अब्दुल कय्युम व शहीद खां को अपराध धारा 341, 323 सपठित धारा 34 भा.द.सं. में दोषसिद्ध घोषित किया गया तथा सजा के बिन्दू पर सुना जाकर अभियुक्तगण को उपरोक्त वर्णितानुसार परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा यह अपील पेश की गई है।

5. अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

6. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश विधि व तथ्यों के विपरीत होकर अपास्त किए जाने योग्य है। अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य में महत्वपूर्ण एवं गंभीर विरोधाभास रहा है । अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित नहीं हुआ है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य की सही विवेचना नहीं की है। परिवादी द्वारा घटना की रिपोर्ट दिनांक 05.09.2017 को दर्ज कराई गई जबकि घटना दिनांक 02.09.2017 की है एवं परिवादी का चोट प्रतिवेदन भी घटना के तीन दिन बाद तैयार किया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर गौर नहीं किया गया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए ।

7. इसके विपरीत प्रत्यर्थी राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक का यह निवेदन रहा है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय–दण्डादेश विधिसम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई समुचित आधार नहीं है । अतः अपील खारिज की जाए ।

8. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

9. हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण पर सामान्य आशय की पूर्ती में मिलकर परिवादी/आहत जमील खां उर्फ तारू को सदोष अवरोधित कर उसके साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण चोटें कारित करने का आरोप है।

10. इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा जो साक्षीगण परीक्षित कराए गए है, उनमें पी.ड. 1 जमील परिवादी/आहत होकर इस प्रकरण का

महत्वपूर्ण गवाह है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 02.09.2017 को शाम 06 बजे वह भदालीखेड़ा बसस्टेण्ड पर अपने बच्चे को बिस्कूट दिलवाने के लिए आया था, जहां पर रसीद खां, कय्यूम खां व सैयद खां आए और इन लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी । रसीद के हाथ में लकड़ी थी, जिसने उसकी जांघ, पेट व हाथ पर मारी । उसके द्वारा इन लोगों के खिलाफ एक केस में गवाही देने के कारण मारपीट की गई। बीचबचाव कराने के लिए मुंखी खां व अय्यूब चीता आए थे । आगे इस साक्षी ने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 दिनांक 05.09.17 को देने, पुलिस द्वारा नक्शामौका प्रदर्श पी 2 की कार्यवाही करने, उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 होकर इन पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया तथा जिरह में कथन किया कि मारपीट के समय मौके पर पुलिस नहीं थी । उसने जब बयान दिए थे, उस समय अभियुक्तगण ने मारपीट नहीं की, बाद में मारपीट की थी । इस प्रकार परिवादी/आहत जमील ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन कहानी का समर्थन करते हुए उसके द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध पहले से चल रहे मुकदमें में गवाही देने की बात को लेकर अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट करने एवं बीचबचाव कराने के लिए मुंखी खां व अय्यूब चीता के आने के स्पष्ट कथन किए गए है।

11. पी.ड. 2 मुंशी खां घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि जमील के साथ रसीद खां, कयूम खां, सैयद खां, गनी खां, आरिफ खां, आसिफ खान व चार–पांच और आदमी थे, जिन्होंने भदालीखेड़ा में किराणे की दुकान के सामने मारपीट की थी। वह वक्त घटना मौके पर था । उसने, अयूब और आबिद ने बीचबचाव कराया व जमील को घर भेजा । अभियुक्त व उसके बीच पुराना केस चल रहा था, जिसमें जमील ने गवाही दी थी एवं इसी कारण अभियुक्तगण ने जमील के साथ मारपीट की थी । जिरह में गवाह ने कथन किया कि वह जब मौके पर आया, उस समय अभियुक्तगण मारपीट कर रहे थे । वह गया तब पुलिस मौके पर नहीं थी । इस प्रकार इस चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियोजन कहानी एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का समर्थन करते हुए इस

साक्षी व अभियुक्तगण के मध्य चल रहे पुराने केस में परिवादी जमील द्वारा गवाही देने के कारण अभियुक्तगण द्वारा परिवादी/आहत जमील के साथ मारपीट करने व स्वयं द्वारा बीचबचाव कराने के तथ्य की पुष्टि की गई है।

12. पी.ड. 3 डॉ. भंवर लाल ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 05.09.2017 को आहत जमील खां का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 तैयार करने एवं आहत के बायें पैर, दाई भूजा, दाई आंख के नीचे कुल चार सामान्य प्रकृति की चोटें कुन्द हथियार से कारित होना कहा तथा जिरह में इस तथ्य को गलत बताया कि उक्त सारी चोटें गिरने–पड़ने से आ सकती हो। साक्षी ने यह कथन किया कि एक–दो चोट आ सकती है। इस प्रकार चिकित्सकीय साक्ष्य से आहत के शरीर पर कुल चार साधारण प्रकृति की चोटें कारित होने की पुष्टि होती है। हालांकि चिकित्सक ने आहत के गिरने–पड़ने पर सारी चोटें आने के तथ्य को गलत बताते हुए एक–दो चोटें आ सकने का तथ्य बताया है किन्तु अभियुक्तगण की ओर से परिवादी/आहत की साक्ष्य के दौरान उसे ऐसा कोई प्रश्न सुझावित नहीं किया गया कि परिवादी/आहत के गिरने–पडने के कारण उसे चोट प्रतिवेदन में वर्णित चोटें कारित हुई हो।

13. पी.ड. 4 मान सिंह, तत्कालीन उपनिरीक्षक, पुलिस थाना माण्डल इस प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसने इसी कम में साक्ष्य देते हुए कथन किया कि प्रार्थी जमील खां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर तफ्तीश उसके जिम्मे की गई । दौराने तफ्तीश गवाहान के बयान लेखबद्ध किए गए, नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी 2 मूर्तिब किया गया, आहत जमील की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं बाद तफ्तीश अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध धारा 341, 323/34 भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित होने पर पत्रावली थानाधिकारी के समक्ष पेश की, जिन्होंने चार्जशीट न्यायालय में पेश की। जिरह में साक्षी ने कथन किया कि दिनांक 02.09.2017 को घटनास्थल पर पुलिस आई थी और कार्यवाही की थी । दिनांक 02.09.17 को जब पुलिस मौके पर पहुंची तब एक रिपोर्ट अभियुक्तगण ने भी दी हो तो उसकी जानकारी में नहीं है।

14. पी.ड. 5 अयूब खां ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि पुलिस

कार्यवाही नक्शामौका प्रदर्श पी 2 पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। लड़ाइ–झगड़े की आवाज आने पर वह बसस्टेण्ड पर पहुंचा तो देखा कि जमील खां जमीन पर पड़ा हुआ था तथा रसीद, कयूम व शहीद तीनों जमील के साथ लकड़ियों से मारपीट कर रहे थे । थोड़ी देर बाद आबिद व मुंशी भी आ गए । उन लोगों ने बीचबचाव कराया, जिस पर वो लोग चले गए। जिरह में गवाह ने कथन किया कि उसे पता नहीं कि मौके पर लकड़ियां किसके हाथ में थी व कौन लेकर आए । मौके पर जमीन के ज्यादा चोटें आई थी। यह उसे जानकारी नहीं है कि जमीन को रास्ते से रोककर मारपीट की हो।

15. पी.ड. 6 आबिद खां ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि पुलिस कार्यवाही नक्शामौका प्रदर्श पी 2 पर आई से जे उसके हस्ताक्षर है। जमील उसका भाई है, जिसके साथ कयूम, रसीद व शहीद ने लकड़ियों से मारपीट की। सूचना मिलने पर वह मौके पर गया एवं देखा कि जमील नीचे पड़ा हुआ था एवं ये तीनो लोग उसके साथ मारपीट कर रहे थे । फिर उन लोगो ने बीचचबाव किया । मारपीट से जमील के पीठ, पेर पर चोटें आई थी। जिरह में गवाह ने कथन किया कि घटना के दूसरे दिन रिपोर्ट दी थी । घटना हुई तब पुलिस मौके पर थी । दोनों पक्ष के व्यक्तियों को पुलिस पकड़कर थाने पर लेकर आई थी ।

16. उक्त दोनों साक्षी (पी.ड. 5 व 6) द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियोजन कहानी एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का समर्थन करते हुए स्वयं के समक्ष अभियुक्तगण द्वारा जमील के साथ लकड़ियों से मारपीट करने एवं उनके व मुंशी द्वारा बीचबचाव कराने के तथ्य की पुष्टि की गई है। स्वयं परिवादी/आहत जमील (पी.ड. 1) ने अपनी साक्ष्य में घटना दिनांक को अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट करने एवं मुंशी खां व अयूब चीता का बीचबचाव हेतु आने का तथ्य बताया गया है।

17. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से भी प्रतिरक्षा साक्ष्य में तीन साक्षियों को परीक्षित कराया गया है, जिनमें पी.ड. 1 शाहिद खां ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 02.09.17 को शाम सात–साढ़े सात बजे

वह घर पर था । बच्चों द्वारा बताने पर वह मौके पर गया तो बसस्टेण्ड पर रसीद व कयूम के साथ तारू उर्फ जमील, युसुफ चीता, इन्द्र चीता, नानु चीता, नरपत, अयूब व तीन–चार अन्य व्यक्ति मारपीट कर रहे थे । मौके पर मुंशी खां, आबिद खां, अयुब खां मारपीट में शामिल थे । मौके पर पुलिस भी आ गई थी । उसने, अनवर व सद्धीक ने बीचबचाव किया । मौके पर कयूम ने रिपोर्ट भी दी थी । पुलिस ने समझाईश का प्रयास किया लेकिन उपरोक्त लोग नहीं माने । पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की प्रति प्रदर्श डी 1 एवं रिपोर्ट की प्रति प्रदर्श डी 2 है। उन्होंने मारपीट नहीं की बल्कि तारबाबू, युसुफ व उसके साथ वाले लोगों ने मारपीट की थी । जिरह में गवाह ने इस तथ्य को सही बताया कि उनके खिलाफ एसीजेएम कोर्ट, माण्डल में मुकदमा चल रहा है, जिसमें जमील ने उनके विरूद्ध साक्ष्य दी थी। उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श डी. 1 में आपस में लड़ाई–झगड़ा व गालीगलौच करने की बात लिखी हुई है। उसके कहीं कोई चोटें नहीं आई।

18. अभियुक्तगण की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य में प्रस्तुत अन्य गवाह डी.ड. 2 अनवर खां व डी.ड. 3 सद्धीक ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 02.09.2017 को जमील, युसुफ, मुंशी, अयूब, इन्द्र व अन्य द्वारा रसीद, कयूम, जमील पिता लतीफ व आरिफ के साथ मारपीट करने व उनके द्वारा बीचबचाव कराने तथा पुलिस द्वारा मौके पर आकर समझाने का प्रयास करने के कथन किए है । डी.ड. 2 ने जिरह में इस तथ्य को सही बताया कि भदालीखेड़ा बसस्टेण्ड पर जब वह पहुंचा तो मुलजिमान व परिवादी पक्ष के आपस में लड़ाई–झगड़ा हो रहा था तथा उसने छुड़ाया था । डी.ड. 3 ने भी जिरह में इस तथ्य को सही बताया कि मुलजिमान व परिवादी के आपस में मारपीट हो रही थी । चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 के बारे में उसे पता नहीं।

19. पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन–विश्लेषण करने से यह जाहिर होता है कि परिवादी/आहत जमील (पी.ड. 1) द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियोजन कहानी का समर्थन करते हुए उसके द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध पहले से चल रहे मुकदमें में गवाही देने की बात को लेकर अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट करने का स्पष्ट

कथन करते हुए मुंशी खां व अयूब का बीचबचाव करने हेतु आना बताया है, जिन तथ्यों की पुष्टि मुंशी खां (पी.ड. 2), अयूब खां (पी.ड. 5) व आबिद खां (पी.ड. 6) ने अपनी साक्ष्य में बखूबी की है । इन साक्षियों ने मौके पर स्वयं के समक्ष अभियुक्तगण द्वारा परिवादी जमील के साथ लकड़ियों से मारपीट करने एवं उनके द्वारा बीचबचाव करने के तथ्य की पूर्णतः पुष्टि की गई है। पी.ड. 2 मुंशी ने अपनी साक्ष्य में यह भी स्पष्ट किया है कि अभियुक्त व उसके बीच पूराना केस चल रहा था, जिसमें जमील ने गवाही दी थी एवं इसी कारण से अभियुक्तगण ने जमील के साथ मारपीट की थी । उक्त साक्षियों की जिरह में कोई विशेष प्रतिकूल तथ्य सामने नहीं आया है अपितु इनके द्वारा दी गई साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के साथ मारपीट करने एवं उसके परिणामस्वरूप परिवादी जमील को चोटें कारित होना पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सकीय साक्ष्य से परिवादी/आहत जमील को कुन्द हथियार से चार साधारण प्रकृति की चोटें कारित होने का तथ्य भी प्रमाणित पाया जाता है। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 परिवादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करवाने के पश्चात् दिनांक 05.09.2017 को पुलिस तहरीर पर चिकित्साधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी पुष्टि चिकित्सक साक्षी पी.ड. 3 डॉ. मांगीलाल द्वारा अपनी साक्ष्य में की गई है, जिन्होंने परिवादी को कारित चोटों की अवधि 48 से 72 घण्टे के भीतर की होना बताया तथा हस्तगत प्रकरण की घटना दिनांक 02.09.2017 की है । अतः ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 में अंकित चोटें परिवादी को घटना दिनांक 02.09.2017 को कारित नहीं हुई हो।

20. अभियुक्तगण की ओर से प्रतिरक्षा में परीक्षित करवाए गए साक्षियों (डी.ड. 1 लगायत डी.ड. 3) ने परिवादी/आहत के साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट नहीं किए जाने अपितु परिवादी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा अभियुक्तगण के साथ मारपीट करने के कथन किए है किन्तु उनकी साक्ष्य विश्वसनीय प्रकृति की होना नहीं पाया जाता है। साक्षियों ने मौके पर पुलिस का आना एवं दोनों पक्षों के व्यक्तियों को पकड़कर थाने पर ले जाना

बताते हुए मौके पर दी गई रिपोर्ट एवं पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की प्रति प्रदर्श डी 1 व डी 2 प्रदर्शित कराए है, जो कि धारा 107, 151 द.प्र.सं. की कार्यवाही से संबधित है। अभियुक्तगण को किसी प्रकार की कोई चोटें कारित हुई हो अथवा उनके द्वारा घटना के संबंध में परिवादी के विरूद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाने पर पंजीबद्ध करवाई गई हो अथवा न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया हो, यह कहीं भी जाहिर नहीं होता है। अपितु अभियुक्तगण की ओर से परीक्षित गवाह डी.ड. 3 ने तो परिवादी के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 के बारे में ही पता नहीं होना बताया । अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा में परीक्षित कराए गए साक्षियों की साक्ष्य विश्वसनीय एवं सन्देह से परे प्रकृति की होना नहीं पाई जाती है।

21. इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप यह तथ्य सन्देह से परे साबित हुआ है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने दिनांक 02.09.2017 को शाम के करीब 6:30 बजे भदालीखेड़ा बसस्टेण्ड पर सामान्य आशय के अनुसरण में परिवादी जमील उर्फ तारू को रोककर उसे सदोष अवरोध कारित किया तथा परिवादी जमील उर्फ तारू के साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण प्रकृति की चोट कारित की । अतः अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध धारा 341, 323 सपठित धारा 34 भा.द.सं. के आरोप सन्देह से परे साबित है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को अपराध धारा 341, 323 सपठित धारा 34 भा.द.सं. के तहत दोषसिद्ध घोषित कर उन्हें परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने के संबंध में जो आलौच्य निर्णय–दण्डादेश पारित किया है, उसमें कोई विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। अतः अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य है।

आ दे श

22. अतः अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मोहम्मद रशीद, अब्दुल कय्युम व शहीद खां द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती

है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय–दण्डादेश दिनांकित 19.02.2020 की पुष्टि की जाती है।इस निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अलिवंब लौटाई जावे।

(अभय जैन)

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30.07.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अभय जैन)